UPRP010009002025

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश–न्यायालय सं0 1, रामपुर

उपस्थितः अजय कुमार दीक्षित, (J.O. Code UP 6153)

एच०जे०एस०

दाण्डिक पुनरीक्षण संख्या –52/2025

(पंजीयन सं0–56/2025)

शराफत हुसैन पुत्र चन्दा, निवासी मौहल्ला मडैयान नादर बाग, मन्नत मैरिज हॉल के सामने, शहर व जिला रामपुर ....पुनरीक्षणकर्ता

बनाम

1–रमाशंकर पाण्डेय पुत्र मस्तराम पाण्डेय, निवासी ग्राम क्योरार तहसील व थाना मिलक, जिला रामपुर

2–उत्तर प्रदेश राज्य ....विपक्षीगण

<u>निर्णय</u>

1– पुनरीक्षणकर्ता शराफत हुसैन की ओर से यह दाण्डिक पुनरीक्षण, विपक्षी रमाशंकर पाण्डेय व उत्तर प्रदेश राज्य के विरुद्ध, विद्वान अपर सिविल जज (अवर वर्ग) न्यायालय सं0 2, रामपुर के द्वारा, परिवाद सं0 79/2023 रमाशंकर पाण्डेय बनाम शराफत हुसैन में पारित तलबी आदेश दिनांकित 09–08–2023 के विरुद्ध संस्थित की गयी है, जिसके द्वारा पुनरीक्षणकर्ता/अभियुक्त को धारा 138 परक्राम्य विलेख अधिनियम के अन्तर्गत विचारण हेतु तलब किया गया है।

2– संक्षेप में पुनरीक्षण के तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रश्नगत आदेश दिनांकित 09–08–2023 विधि विरुद्ध तथा वास्तविक तथ्यों पर परीक्षण किये बिना पारित किया गया है। विपक्षी सं० 1 ने अपने प्रार्थना पत्र में 20,00,000/– रुपये पुनरीक्षणकर्ता को, उसके दो पुत्रों को दुबई जाने के कारण, बिना किसी साक्ष्य के देना दर्शाया है, जोकि किसी तरह विश्वास योग्य नहीं है। पुनरीक्षणकर्ता का पुत्र कथित तिथि से पूर्व से ही दुबई में था तथा दूसरा पुत्र दिसम्बर 2021 में गया और 20 जनवरी 2022 को वापस आ गया, जबकि प्रथम पुत्र सितम्बर 2023 को वापस भारत लौटा, जोकि प्रमाणित है। विपक्षी सं० 1 द्वारा दर्शायी गयी कहानी, झूठी व फर्जी है। वास्तव में, पुनरीक्षणकर्ता की बचत खाता पासबुक 11587763304 व चैक बुक, जो 2014 में भारतीय स्टेट बैंक शाखा मिलक द्वारा, चैक सं० 337011 से 337040 तक जारी की गयी थी, वह खाता सन 2020 में स्टेट बैंक शाखा भैंसोड़ी (मिलक) आ गया है, के कुछ चैक प्रयोग हो गये थे, कुछ हस्ताक्षरित, कुछ खाली तथा आधार कार्ड, बैग से दिसम्बर 2022 में रास्ते में गिर गये थे, जिसकी तहरीरी सूचना पुनरीक्षणकर्ता ने थाना शहजादनगर पर जी०डी० सं० 16 समय 08:57 दिनांक 20.12.2022 पर तहरीर देकर अंकित करा दी और बैंक शाखा भैंसोड़ी में भी चैकों के भुगतान पर रोक लगा

दी, जिसकी तहरीरें पुनरीक्षण के साथ प्रस्तुत की जा रही हैं। बावजूद इसके विपक्षी सं0 1 ने उक्त चैक बुक के चैक फर्जी तरीके से स्वयं रकम फर्जी रिपोर्ट प्राप्त करके प्रयोग किये, जिसके विरुद्ध पुनरीक्षणकर्ता की जानकारी में आते ही प्रथम सूचना रिपोर्ट अंकित कराने हेतु प्रार्थना पत्र थानाध्यक्ष , थाना शहजादनगर व पुलिस अधीक्षक, रामपुर को दिये। पुनरीक्षणकर्ता को चैकों के सम्बन्ध में चौकी रठौन्डा से फोन पर पता चला कि विपक्षी सं0 1 ने उक्त चैक बुक से 02 चैक किसी प्रकार हासिल करके भारतीय स्टेट बैंक शाखा, मिलक में अपने खाता सं० – 11587733493 पर दिनांक 09.05.2023 व 12.05.2023 को उक्त फर्जी कहानी के आधार पर लगाकर, उक्त केस में विपक्षी सं0 1 के विरूद्ध तलबी आदेश करा दिया। उक्त गुम चैक पुनरीक्षणकर्ता ने विपक्षी को नहीं दिये, न जारी किये, न जारी किये जा सकते थे, न बैंक द्वारा भुगतान रोककर दिये जाने पर अनादरित हो सकते थे और न कभी पुनरीक्षणकर्ता ने 02 वर्ष पूर्व विपक्षी सं0 1 से 20 लाख रूपये बिना किसी प्रमाण के लिये। इसके अलावा 19,50,000/– रूपये, 20 लाख रूपये के एवज में क्यों वापस करता, पूरी तरह झूठी कहानी है, जोकि दो चैकों के सम्बन्ध में गढ़ी गयी है, इसलिये तलबी आदेश निराधार है। चैक पुनरीक्षणकर्ता द्वारा नहीं भरे गये। उक्त प्रकरण में प्रयोग चैक विपक्षी सं0 1 ने कूटरचित करके, धोखाधड़ी से बैंक में आये हैं। उक्त चैकों के सम्बन्ध में पुनरीक्षणकर्ता , बैंक द्वारा चैकों को अनादरित किया गया, न उसके बैंक में भुगतान के लिये आये। उपरोक्त आधारों पर पुनरीक्षणकर्ता द्वारा प्रश्नगत तलबी आदेश दिनांकित 09–08–2023 निरस्त करने तथा प्रस्तुत पुनरीक्षण स्वीकार करने की याचना की गयी है।

3– पुनरीक्षणकर्ता की ओर से प्रश्नगत तलबी आदेश दिनांकित 09–08–2023 की सत्य प्रति, तथा सूची 15ख से परिवादी/विपक्षी सं0 1 द्वारा थानाध्यक्ष थाना शहजादनगर को बैक व कागजात की गुमशुदगी की सूचना दिनांकित 20–12–2022, थाना शहजादनगर की सामान्य दैनिकी विवरण (जी0डी0) सं0 16 दिनांकित 20–12–2022 की छाया प्रति, शराफत हुसैन द्वारा भारतीय स्टेट बैंक शाखा भैसोंडी (मिलक) को दिये गये प्रार्थना पत्र की छाया प्रति, शाखा प्रबन्धक भारतीय स्टेट बैंक, भैंसोड़ी द्वारा चैक भुगतान पर रोक लगाने की सूचना सम्बन्धी थाना प्रभारी शहजादगर को प्रेषित पत्र दिनांकित 28–08–2024 एवं 31–08–2024, खाता सं0 11587763304 से सम्बन्धित बैंक स्टेटमेन्ट, पासपोर्ट फैसल एवं पासपोर्ट तफज्जुल एवं बीजा की छाया प्रतियाँ दाखिल की गयी हैं।

4– विपक्षी सं0 1 रमाशंकर पाण्डेय की ओर से कोई लिखित आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गयी है, केवल मौखिक रूप से विरोध किया गया है।

5– विपक्षी सं० 2 उत्तर प्रदेश राज्य की ओर से कोई लिखित आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गयी है, केवल मौखिक रूप से विरोध किया गया है।

6– मैंने पुनरीक्षणकर्ता के विद्वान अधिवक्ता, विपक्षी सं0 1 के विद्वान अधिवक्ता एवं विपक्षी सं0 2 उत्तर प्रदेश राज्य की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) को सुना। पत्रावली का सम्यक परिशीलन किया गया। मूल पत्रावली का भी अवलोकन किया।

7– **धारा 397 दण्ड प्रक्रिया संहिता** के अनुसार पुनरीक्षण न्यायालय, अवर न्यायालय द्वारा पारित किसी भी दण्डादेश या आदेश की शुद्धत्ता एवं वैद्यता या औचित्य के बारे में तथा किन्हीं कार्यवाहियो की नियमितता के बारे में विचार करने हेतु

पुनरीक्षण शक्तियों का प्रयोग कर सकती है।

8— दण्ड प्रक्रिया संहिता में वर्णित धारा 203 व 204 दं0 प्र0 सं0 के प्राविधानों से स्पष्ट है कि विधि द्वारा परिवाद वादों में समन न करने या समन करने के सम्बन्ध में मजिस्ट्रेट को विस्तृत शक्ति प्रदत्त की गयी है। मजिस्ट्रेट परिवादी के और साक्षियों के शपथ पर किए गए कथन पर (यदि कोई हो), और धारा 202 दं0 प्र0 सं0 के अधीन जांच या अन्वेषण के (यदि कोई हो) परिणाम पर विचार करने के पश्चात ''पर्याप्त आधार'' दर्शित न होने पर धारा 203 दं0 प्र0 सं0 के अन्तर्गत परिवाद खारिज करेगा या ''पर्याप्त आधार'' दर्शित होने पर अन्तर्गत धारा 204 दण्ड प्रक्रिया संहिता किसी अभियुक्त की हाजिरी के लिए समन वारंट यथास्थिति जारी करेगा।

शब्द "पर्याप्त आधार'' से तात्पर्य न्यायिक मस्तिष्क के प्रयोग के उपरान्त कायम मजिस्ट्रेट की राय से है। मजिस्ट्रेट को किसी व्यक्ति को न्यायालय में समन करने या न करने के सम्बन्ध में विधि के प्राविधानानुसार प्रथमदृष्टया प्रकरण के तथ्य पर तो विचार करना ही चाहिए, साथ ही साथ लिये गये निष्कर्ष के आधारों का भी उल्लेख अपने आदेश में करना चाहिए।

9— मूल पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि परिवादी रमा शंकर पाण्डेय द्वारा सम्बन्धित न्यायालय के समक्ष एक परिवाद सं0 79/2023 प्रस्तुत किया गया , जिसमें उसने विपक्षी शराफत हुसैन को अच्छे सम्बन्धों के आधार पर, उसके दो पुत्रों को दुबई भेजे जाने हेतु, 20 लाख रुपये दिनांक 12—04—2021 को दिये थे और शीघ्र ही उक्त रकम को वापस करने का वायदा किया था, परन्तु दो वर्ष व्यतीत हो जाने के बाद भी उसने परिवादी को उसकी रकम वापस नहीं की और बार—बार तकाजा करने पर उसने परिवादी को दो चैक सं0 337033 दिनांकित 09—05—2023 अंकन 9,80,000/— रुपये एवं चैकि सं0 337034 दिनांकित 12—05—2023 अंकन 9,70,000/— रुपये भारतीय स्टेट बैंक के दिये, जिन्हें परिवादी ने अपने खाता सं0 11587763304 में लगाया, परन्तु उक्त दोनों चैक क्रमशः दिनांक 09—05—2023 एवं 15—05—2023 को "खाते में अपर्याप्त धनराशि” की टिप्पणी के साथ वापस प्राप्त हुये, जिसकी मौखिक सूचना परिवादी ने विपक्षी को दी और नोटिस दिनांकित 24—05—2023 भी प्रेषित किया, परन्तु नोटिस की पर्याप्त तामीला के बाद भी विपक्षी ने चैकों में वर्णित धनराशि का भुगतान परिवादी को नहीं किया। परिवादी द्वारा अपने कथनों के समर्थन में धारा 200 दं0 प्र0 सं0 के अन्तर्गत स्वयं का साक्ष्य शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया, जिसमें उसके द्वारा अपने परिवाद पत्र के कथनों की पुष्टि की गयी है। मूल पत्रावली में परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के समर्थन में शपथपत्र, मूल चैक सं० 337033 अंकन 9,80,000/— रुपये दिनांक 09—05—2023, चैक सं० 337034 अंकन 9,70,000/— रुपये दिनांक 12—05—2023, जमा रसीद, चैकों के सम्बन्ध में रिटर्न मैमो, नोटिस दिनांकित 19—05—2023 एवं मूल रजिस्ट्री रसीद दाखिल किये गये हैं।

10— मूल पत्रावली के अवलोकन से यह विदित होता है कि चैक सं0 337033 अंकन 9,80,000/— रुपये दिनांकित 09—05—2023 भारतीय स्टेट बैंक, शाखा मिलक में भुगतान हेतु जमा किया गया है, जोकि Funds insufficient एवं Advice not received, Amount/Name differs on advice की टिप्पणी के साथ बैंक द्वारा दिनांक 09—05—2023 को परिवादी को वापस प्राप्त हुआ तथा चैक सं0 337034 अंकन 9,70,000/— रुपये दिनांकित 12—05—2023 भारतीय स्टेट

बैंक, शाखा मिलक में भुगतान हेतु जमा किया गया है, जोकि Funds insufficient एवं Drawer's Signature in complete illegible, Differ/required की टिप्पणी के साथ बैंक द्वारा दिनांक 15–05–2023 को परिवादी को वापस प्राप्त हुआ। इसकी शिकायत परिवादी द्वारा विपक्षी से की गयी और लिखित में नोटिस भी दिया गया, परन्तु परिवादी द्वारा विपक्षी को भुगतान न करना कहा गया है। विद्वान अवर न्यायालय ने परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद पत्र, परिवादी के बयान अन्तर्गत धारा 200 दं0प्र0सं0 के आधार पर, न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांकित 09–08–2023 से अभियुक्त/पुनरीक्षणकर्ता को धारा 138 परक्राम्य विलेख के अन्तर्गत तलब किये जाने का आदेश पारित किया।

11– पुनरीक्षणकर्ता/अभियुक्त की ओर से मुख्य रूप से यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि परिवादी के पास ऐसा कोई प्रमाण नहीं है, जिससे उसके द्वारा परिवादी से 20,00,000/– रुपये ,उसके दो पुत्रों को दुबई जाने हेतु दिये गये हों,जबकि पुनरीक्षणकर्ता का एक पुत्र कथित तिथि से पूर्व से ही दुबई में था तथा दूसरा पुत्र दिसम्बर 2021 में चला गया और 20 जनवरी 2022 को वापस आ गया था और यदि परिवादी के विपक्षी पर 20 लाख रुपये होते तो परिवादी, विपक्षी से 19,50,000/– रुपये के चैक क्यों प्राप्त करता। यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि पुनरीक्षणकर्ता की बचत खाता पासबुक 11587763304 व चैक बुक, जिसके कुछ चैक प्रयोग हो गये थे, कुछ हस्ताक्षरित, कुछ खाली थे, तथा आधार कार्ड, बैग से दिसम्बर 2022 में रास्ते में गिर गये थे, जिसकी सूचना पुनरीक्षणकर्ता ने थाना शहजादनगर पर जी०डी० सं० 16 समय 08:57 दिनांक 20–12–2022 पर दर्ज करायी थी। इन तर्कों के सम्बन्ध में न्यायालय का यह निष्कर्ष है कि पुनरीक्षणकर्ता उपरोक्त तर्कों को विचारण न्यायालय के समक्ष, उपयुक्त अवसर पर उठा सकता है। इस न्यायालय द्वारा प्रश्नगत आदेश की शुद्धत्ता एवं वैधता या औचित्य के बारे में ही मत व्यक्त किया जाना है। अतः पुनरीक्षणकर्ता के उक्त तर्कों में कोई बल प्रतीत नहीं होता है। पुनरीक्षणकर्ता/ अभियुक्त को यह अधिकार प्राप्त है कि वह विचारण के दौरान, उचित अवसर पर, इन तथ्यों को विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है, जिन पर विचारण न्यायालय ही साक्ष्योपरान्त निष्कर्ष देने के लिये स्वतन्त्र है। विद्वान अवर न्यायालय द्वारा परिवादी के बयानों के आधार पर ही,प्रथमदृष्टया पर्याप्त साक्ष्य पाते हुये, अभियुक्त/ पुनरीक्षणकर्ता को सुसंगत धारा में विचारण हेतु आहूत किया है।

12– इस प्रकार विद्वान विद्वान अवर न्यायालय द्वारा पारित प्रश्नगत आदेश एवं उपलब्ध साक्ष्यों का सम्यकरूपेण परिशीलन करने के उपरांत इस न्यायालय का मत है कि विद्वान अवर न्यायालय द्वारा पारित प्रश्नगत आदेश दिनांकित 09–08–2023 पारित करने में कोई विधिक त्रुटि या अनियमितता कारित नहीं की गयी है और उसमें हस्तक्षेप करने की कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। तदनुसार पुनरीक्षण निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

पुनरीक्षणकर्ता शराफत हुसैन की ओर से प्रस्तुत दाण्डिक पुनरीक्षण सं0 52/2025 शराफत हुसैन बनाम रमाशंकर पाण्डेय व अन्य निरस्त किया जाता है। विद्वान अवर न्यायालय द्वारा पारित प्रश्नगत आदेश दिनांकित 09–08–2023 की पुष्टि की जाती है।

इस आदेश की प्रति, मय मूल अभिलेख, नियमानुसार सम्बन्धित

न्यायालय को अग्रिम कार्यवाही हेतु, अविलम्ब प्रेषित की जाये।

पक्षकार सम्बन्धित न्यायालय के समक्ष दिनांक 02–04–2026 को अग्रिम कार्यवाही हेतु उपस्थित हों।

दिनांक: 19–03–2026 (अजय कुमार दीक्षित)
PA/KDS
अपर सत्र न्यायाधीश
न्यायालय सं0 1
रामपुर।
J.O. Code U.P.6153

निर्णय आज खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं दिनांकित करके उद्घघोषित किया गया।

दिनांक 19–03–2026 (अजय कुमार दीक्षित)
अपर सत्र न्यायाधीश
न्यायालय सं0 1
रामपुर